

# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्राथमिक मुकदमा २५ दि ८ विपक्षी २२ दि ६  
पत्रावली संख्या ५५/१५ सन्

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

३०/१२/२१  
पत्रावली आज कैंम्प में पेश हुई।  
प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-  
नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली  
पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय  
हाजा में दिनांक-३१/५/२२ को  
पेश हों।

सहायक कलक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट ट्रैक) मावली

28/02/2022

पत्रावली प्रार्थी मध्य अधिवक्ता द्वारा  
पत्रावली मध्य विद्रो का पेश करने पर  
तलब की गई। प्रकरण में प्रार्थीगण कोई  
कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण को इसी स्तर  
पर ड्रॉप किया जाने का निवेदन किया।

अतः प्रार्थीगण प्रकरण में कोई कार्यवाही  
नहीं चाहने से प्रकरण को इसी स्तर पर  
ड्रॉप किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम  
अस्थायी निषेधाज्ञा हटाई जाती है। पत्रावली  
फैसल नुमांर होकर नम्बर से कम है।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

28/02/2022

28/02/2022

